कार्यालय
कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा
ई–मेल आ0डी0–**eescd.mrh@gmail.com**

पत्रांक......................../मढ़ौरा। दिनांक........................../2026

भाड़े पर वाहन आपूर्ति हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण

पुनः कोटेशन आमंत्रण सूचना सं0 –02/2026–27

सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा अन्तर्गत प्रमंडलाधीन कराये जा रहे कार्य एवं अन्य सरकारी कार्यो के कार्यान्चयन एवं निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कॉलम 02 में अंकित अवधि के लिये कॉलम–03 मे अंकित बोलेरो गाड़ी भाड़े पर रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आंमत्रित की जाती है।

क्रं0 सं0	कार्यान्वित अवधि	वाहनो की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	15.06.2026 से 31.03.2027	01 अदद्	
2	15.06.2026 से 31.10.2026	01 अदद्	

उक्त अवधि के लिये निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फार्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, इच्छुक कोटेशनदाताओं को दोनो वाहनों के लिए अलग अलग कोटेशन सीलबंद लिफाफे में दिनांक 14.06.2026 को 3:00 बजे अपराहन तक सारण नहर प्रमंडल ,मढ़ौरा में जमा करना होगा जिसे दिनांक 14.06.2026 को 3:30 बजे अपराहन में खोला जायेगा। कोटेशनदाता या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खुलने के समय उपस्थित रहेंगें।

कोटेशन की अन्य शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. एकल वाहन स्वामी भी कोटेशन में भाग ले सकते है।
2. एकरारनामा की अवधि आवश्यकतानुसार क्रंमाक 01 एवं क्रंमाक 02 पर अंकित अवधि तक के लिए होगी तथा संतोषजनक सेवा रहने पर इसका एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जायेगा।
3. वाहन का मॉडल 2020 के पूर्व का नही होना चाहिए एवं अच्छी हालत में होना चाहिए।
4. वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
5. वाहन के कागजात ,टैक्स,बीमा प्रदुषण प्रमाण पत्र आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए।
6. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
7. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार की मरम्मति ,तौलिया इत्यादि उपलब्ध कराना एवं इसकी सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। वाहन चालक के वेतन का भुगतान ,आवासन एवं भोजन आदि की व्यवस्था मालिक की होगी ।
8. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी एवं विपत्र से नियमानुकुल करों की कटौती अनिवार्य रूप से की जायेगी।

9. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित की जिम्मेदारी वाहन मालिक/फार्म का होगा।
10. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिमाह की दर से ईधन रहित देय होगा।
11. कोटेशनदाता को वितीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्वरित करना होगा

कं0 सं0	वाहन का प्रकार	ईधन रहित चालक सहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करों यथा जी0एस0टी0 ,आई0टी0 सहित)

12. मासिक न्यूनतम दर समाहर्ता , छपरा द्वारा अद्यतन दर के बराबर या न्यूनतम उद्वरित दर के कोटेशनदाता के साथ रू0 1000/(एक हजार रूपये) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा एवं उन्हे वाहन उपलब्ध करने का आदेश दिया जायेगा।
13. वाहन के उपयोग के लिये लौग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी ,जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
14. वाहन का ईधन रहित (चालक सहित) प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नही होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नही रहने पर कभी भी एकरारनामा समाप्त किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है।
15. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।
16. वाहन का उपयोग वाहन मालिक आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यावसायिक उपयोग में नही करेगें।
17. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फार्म का दायित्व होगा कि वे तुरन्त दुसरा वाहन उपलब्ध करायेगें, अगर वे ऐसा नही करते है तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दुगने दर से कटौती कर ली जायेगी।
18. एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के मांध्यम से वाहन मालिक /फार्म का चयन किया जायेगा।
19. इच्छुक वाहन मालिक/ फार्म उक्त क्रमांक 01 से 19 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबधित अपना शपथ–पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 04 से 06 संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेशन के साथ समर्पित करेगें। वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा।

विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं बेवसाईट wrd.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा

पत्रांक 1101 / मढ़ौरा, दिनांक 08/06 / 2026

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी ,जल संसाधन विभाग ,पटना को सूचना की एक प्रति सॉफ्ट कॉपी के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु समर्पित।

08/06/2026

080626

कार्यपालक अभियंता
सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा

8/6/26.